अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

अनवानी प्रकरण माझुराम बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा 88 आर.टी.ए. व 136 एल.आर.एक्ट. मु.न. 144/2022

	हुक्म कार्यवाही मय विवरण	
19.06.2024	पत्रावली आज पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा यह वाद अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. व 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस न्यायालय में दायर किया जिसमें वादी द्वारा चक 9 आरपी खाता सं. 61/97 तादादी 4.960 है. में हिस्सा 617/2480 में दर्ज खातेदार सहीराम पुत्र मुकनाराम की जगह माझुराम पुत्र मुकनाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड का अनुतोष चाहा है। वाद/प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत लखुवाली की तस्दीकी दिनांक 26.11.2021, स्वयं द्वारा पेश शपथ पत्र, राशनकार्ड सं. 200001733665 मतदाता पहचान पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम माझुराम अंकित है। रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 31.01.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें सहीराम पुत्र मुकनाराम व माझुराम पुत्र मुकनाराम एक ही व्यक्ति के नाम है का अंकन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौका रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि सहीराम व माझुराम एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिए प्रार्थना पत्र/वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि चक 9 आरपी खाता सं. 61/97 तादादी 4.960 है. में हिस्सा 617/2480 में दर्ज खातेदार सहीराम पुत्र मुकनाराम की जगह माझुराम उर्फ सहीराम पुत्र मुकनाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। शेष प्रविष्टि पूर्ववत् रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर नाम दुरूस्ती की जावें। आदेश आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.07.19 09:46:42 IST
Reason: SelfAttested